

न्यायालय तहसीलदार बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थी

राजस्थान सरकार
पटवारी हल्का चौखला

बजरगाराम पुत्र नगाराम
जाति मेघवाल निवासी करनपुर

मुकदमा नम्बर 08/2018 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 30.10.2018

पत्रावली आज पेश हुई। विप्रार्थी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विप्रार्थी द्वारा संवत् 2075 में ग्राम **करणपुर** के खसरा नम्बर 188 रकबा 3.11 बीघा किस्म गै. मु. रास्ता भूमि में से रकबा 0.09 बीघा में अनाधित रूप से रास्ता रोककर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश की। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस विप्रार्थी से तामील होकर प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

विप्रार्थी द्वारा दिनांक 30.07.2018 को जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें स्वयं के खातेदारी भूमि ग्राम पंचायत चौखला के राजस्व गाव करनपुरा में आई हुई जिसका खसरा नम्बर 192 व 186 च 268/186 व 267/186 आई हुई है तथा उक्त खातेदारी भूमि पर मेरे स्वयं का कब्जा है जहा पर मेरा परिवार पीढी दर पीढी काश्त करता आ रहा है। उक्त हमारे खातेदारी खेत पर माननीय न्यायालय तहसीलदार बायतु द्वारा एक नोटिस जारी किया गया जिसमें मे खेत खसरा नम्बर 188 में मुझे गैर मुमकिन रास्ता बताया तथा उक्त मेरे खेत खसरा नम्बर 188 में जो गैर मुमकिन रास्ते हेतु जो डिक्री जारी हुई उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। उक्त रास्ते हेतु अवाप्त भूमि मुझे मुआवजा भी नहीं मिला है तथा उक्त मेरे खेत खसरो में से दो रास्ते से जाने वाली सड़को हेतु मेरी भूमि अवाप्त हो चुकी है जिसका भी मुझसे मुआवजा नहीं मिला है।


उपर्युक्त समस्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि गैर सायल पर लगाये गये आरोपों (अध्यारोपित आरोप) व उसके द्वारा प्रस्तुत जवाब व पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। ग्राम **करणपुर** के खसरा नम्बर 188 रकबा 3.11 बीघा किस्म गै. मु. रास्ता भूमि में से रकबा 0.09 बीघा में अनाधित रूप से रास्ता रोककर अतिक्रमण विप्रार्थी द्वारा सरकारी भूमि पर बिना किसी अधिकार के कब्जा किया है जो अवैध है।

लगातार...2

अतः विप्रार्थी/गैर सायल को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर सरकारी भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही भूमि के वार्षिक लगान 1 रु 50 गुणा जुर्माना रु 50/- अखरे पचास रुपये मात्र किया जाता है। जो विप्रार्थी से वसूल हो। विप्रार्थी को मोक़े से बेदखल करने भूमि का कब्जा बहक सरकार लेने हेतु भू.अ. निरीक्षक व पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो।

पटवारी हल्का व त.रा.ले. तहसील हाजा आदेश से सूचित हो, पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दफ़तर दाखिल हो। निर्णय खुली अदालत सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2018 को सुनाया गया।


तहसीलदार बायत
विप्रावली